इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, 2811553, 2811554,

Mobile No. 9425436404, Email – sanchi13a@gmail.com

!! सुपरस्टाकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई-निविदा सूचना !!

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा उत्पादित साँची आईसक्रीम इन्दौर संयंत्र डाक से रेफ्रीजरेटेड (-) 18^0 C से (-) 25^0 C वाहन से वितरण हेतु भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा के माध्यम से Online दरें आमंत्रित की जाती है। अधिक जानकारी के लिए आवेदन एम.पी.सी.डी.एफ. की वेब साईड www.sanchidairy.com पर देखा जा सकता है एवं निविदा प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 1,000/- का भुगतान कर वेबसाईट www.mptenders.gov.in से प्राप्त कर सकते है।

Key Information :-

ई–निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम दिनांक एवं समय	ई–निविदा वित्तीय बीड प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकि बीड खोलने की दिनांक एवं समय	ई.एम.डी. राशि
24.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक	24.03.2023 दोपहर 12:00 बजे तक	25.03.2023 दोपहर 3:00 बजे तक	1,00,000/-

निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

इस निविदा सम्बन्धी कोई संशोधन होता है तो वह ऊपर वर्णित वेबसाईट के अलावा अन्यत्र कही भी प्रकाशित नहीं की जावेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन क्रमांक **922** आवेदन मूल्य रू. – **1000.00**

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर द्वारा उत्पादित साँची आईसक्रीम इन्दौर संयंत्र डाक से रेफ्रिजरेटेड वाहन से भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र मे वितरण हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र

निविदा आवेदन पत्र

वर्ष 2023 - 2024

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2802554, Fax No. 0731-28011559

Email – sanchi13a@gmail.com

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

चांदा तलावली, मागंलिया, इन्दौर

(2 सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्ति हेतु ई–निविदा प्रपत्र)

(1)	ई–निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय।	▪	24.03.2023 दोप. 12:00 बजे तक।
(2)	ई–निविदा (ऑन लाईन) जमा करने की अंतिम दिनांक व समय	▪	24.03.2023 दोप. 12:00 बजे तक।
(3)	निविदा खोलने की तिथि एवं समय।	▪	25.03.2023 दोप. 3:00बजे तक।
(4)	निविदा के साथ जमा की की जाने वाली अमानत राशि।	▪	रू. 1,00,000/- (अक्षरी रू. एक लाख मात्र)
(5)	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु तकनीकि अर्हताओं का प्रारूप।	▪	प्रपत्र 01
(6)	सुपरस्टॉकिस्ट की सामान्य तकनीकि शर्ते।	▪	प्रपत्र 02
(7)	सामान्य जानकारी आवेदन पत्र	▪	प्रपत्र 03
(8)	विपणन मार्ग की जानकारी	▪	प्रपत्र 04
(9)	''भाव पत्र/दरें'' प्रस्तुत करने का प्रारूप। (ऑन लाईन)	▪	प्रपत्र 05

-X-

(तकनीकी अर्हतायें)
प्रपत्र - 01

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
इन्दौर सह.दुग्ध संघ मर्या.
इन्दौर

विषय :– साँची आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

साँची आईसक्रीम सुपरस्टाकिस्ट हेतु दिनांक .... को .... समाचार पत्र मे प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ मे निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र मे वर्णित समस्त शर्ते एवं निर्देश पढ़ कर समझ लिये गये है। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मै आपके द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

–=0 तकनीकी अर्हतायें 0=–

क्रं.	आवश्यक अर्हताएँ	विवरण
1.	आवेदक का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा मे पंजीयन का प्रमाण	(विवरण ऑन लाईन प्रस्तुत करें)
2.	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता एवं पार्टनरशिप डीड संलग्न करें।	
3.	संस्था/फर्म होने की दशा मे अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम।	
4.	निविदाकर्ता का आधार नम्बर होना अनिवार्य है।	
5.	पान नम्बर की प्रति संलग्न करें।	
6.	परिवहन कार्य हेतु स्वयं की **01** वाहन रेफ्रिजरेटेड (-) 18⁰ C से (-) 25⁰ C का होना चाहिए। जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किराये की वाहन या स्वयं के वाहन लगाना होगा।	
7.	खाद्य एवं सुरक्षा का लाईसेंस/पंजीयन की प्रति की पंजीकृत होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन अमान्य किया जावेगा।	
8.	इन्कम टेक्स रिर्टन वित्तीय वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 दो वर्षों की ITR की पावती प्रस्तुत करना होगी।	
9	वित्तीय वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 तीनों वर्षों का कुल रू. 10 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर हेतु वर्ष 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 का सी.ए. द्वारा प्रमाणित जिसमें UDIN नं. एवं व्यवसाय का प्रकार सहित प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा। **FMCG** व्यवसायी ही पात्र होंगे।	
10	आवेदनकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाना अनिवार्य है।	
11	निविदाकर्ता का जी.एस.टी. नम्बर की प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें।	
12	निविदाकर्ता का संबंध अध्यक्ष/संचालक मण्डल के सदस्यों, दुग्ध संघ के अधिकारी /कर्मचारी से संबंध नही है एवं किसी भी दुग्ध संघ द्वारा ब्लेकलिस्ट नही किया गया हो रू. 100 के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।	
13	इस निविदा मे कार्यरत वितरक द्वारा भाग लिया जाता है तो भोपाल सहकारी दुग्ध संघ से एन.ओ.सी. प्राप्त कर संलग्न करना होगी।	
14	ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगी।	

नोट – उपरोक्त दर्शित बिन्दुओं से संबंधित जानकारी/प्रमाणक ऑन लाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

हस्ताक्षर – – – – – – – – – –
नाम – – – – – – – – – –
पता – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
दूरभाष/मोबाईल नम्बर– – – – – – – – – – –

(समान्य शर्ते)
प्रपत्र क्रमांक – 02

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

साँची आईसक्रीम सुपरस्टाकिस्ट सह–परिवहनकर्ता ई–निविदा हेतु आवश्यक शर्ते

1) आवेदनकर्ता को चाहे गए समस्त दस्तावेज ऑन–लाईन अपलोड करना अनिवार्य है।

2) आवेदक को ऑन लाईन राशि रू. रूपये 1,00,000/- (अक्षरी रूपये एक लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेगें।

3) सफल निविदाकार की नियुक्ति पश्चात संघ मे प्रतिभूति राशि पेटे रूपये 5.00 लाख नकद आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे जमा करना होगा तथा 5.00 लाख की बैंक ग्यारंटी दुग्ध संघ मे प्रस्तुत करना होगी। ई.एम.डी. राशि का समायोजन प्रतिभूति राशि मे किया जावेगा। आईसक्रीम विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रू. 11.00 लाख होगी।

4) असफल निविदाकारों की ई.एम.डी. राशि एम.पी. टेण्डर्स के नियमानुसार वापस की जावेगी।

5) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 वाहन न्यूनतम 200 क्रेट क्षमता की रेफ्रिजरेटेड (-) 18^0 C से (-) 25^0 C का होना चाहिए तथा आईसक्रीम की मांग मे वृद्धि होने पर क्षमता अनुसार वाहन उपलब्ध करना होगी। वाहन के दस्तावेज प्रस्तुत करें। अन्यथा नये वाहन खरीदने की दशा में रू. 100/– के स्टाम्प पत्र पर नोटिराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किराये की वाहन या स्वयं के वाहन लगाना होगी। रेफ्रिजरेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2019 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।

6) सफल निविदाकार को रेफ्रीजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस मे वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।

7) मध्यप्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम स्तर के व्यवसायियों को ई–निविदा मे प्रतिभूति राशि के भुगतान से छूट रहेगी परंतु एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग) का पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

8) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

A) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को कार्य क्षेत्र मे सभी पार्लर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।

B) सुपरस्टॉकिस्ट को रेफ्रिजरेटेड वाहन (-18^0C) संचालित करना होगा।

C) सुपरस्टॉकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या मे खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी।

D) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची आईसक्रीम की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई–मेल द्वारा प्रतिदिन इन्दौर दुग्ध संयंत्र को देना होगी।

E) सुपरस्टॉकिस्ट के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे आईसक्रीम लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि आईसक्रीम हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ मे रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की उनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

F) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा आईसक्रीम विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते मे जमा करने के पश्चात् ही साँची आईसक्रीम प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर आईसक्रीम प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि आईसक्रीम प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट की सेवा समाप्त की जा सकती है।

G) सफल निविदाकार को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट–पे रेखांकित पांच चैक संचालित बैंक खाते के अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

H) सफल निविदाकार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले मे आईसक्रीम वितरक नियुक्त करने के लिए महाप्रबंधक (विपणन) इन्दौर को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा भोपाल संभाग के समस्त जिलों तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सॉची आईसक्रीम विक्रय करना होगा।

I) सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को आईसक्रीम विक्रय पर समय – समय पर निर्धारित आईसक्रीम दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा।

J) सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा **वितरक दर** पर आईसक्रीम उपलब्ध की जावेगी तथा स्वयं के द्वारा नियुक्त वितरक को वितरक दर आईसक्रीम उपलब्ध करना होगी। वर्तमान मे प्रचलित निर्धारित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय–समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।

K) इस ई–निविदा मे सॉची आईसक्रीम विक्रय पर सुपर स्टाकिस्ट को दिया जाने वाला **मार्जिन को परिवहन दर मे शामिल किया गया** को, ध्यान मे रखते हुए निविदाकार द्वारा ऑनलाईन परिवहन दरें प्रति लीटर या प्रति किलो मे प्रस्तुत करेंगे। सफल सुपर स्टाकिस्ट द्वारा परिवहन देयक में परिवहन व्यय + जी.एस.टी. राशि का उल्लेख कर देयक प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। पृथक से मार्जिन देय नही होगा।

L) सुपरस्टॉकिस्ट ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में आईसक्रीम प्रदाय नही हो रहे है, वहां पर प्रदाय करना होगा।

9) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की दरो में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की स्थापित प्रणाली से होगा।

10) ई–निविदा मे प्राप्त परिवहन दर समान आने पर म.प्र. को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन भंडार क्रय नियमानुसार लॉटरी पद्धति से निविदाकार का चयन किया जावेगा।

11) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

12) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को आईसक्रीम प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि शामिल नही होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।

13) सुपरस्टॉकिस्ट को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के सम्पूर्ण कार्य क्षेत्र में साँची आईसक्रीम के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी। साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2019 या उसके बाद के मॉडल) रेफ्रीजरेटेड होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।

14) सुपरस्टॉकिस्ट को आईसक्रीम प्रदाय करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।

15) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची आईसक्रीम वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

16) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (आईसक्रीम) का कार्य छोड़ने बाबद् देना होगा।

17) संघ से क्रय की गई आईसक्रीम मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में **अग्रिम** जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

18) सुपरस्टाकिस्ट की नियुक्ति पश्चात समस्त संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार सुपर स्टाकिस्ट को करना होगी।

19) निविदा प्रपत्र के साथ आपके विरूद्ध किसी प्रकार का न्यायालयीन प्रकरण नहीं हो, जिसका सत्यापन निकटतम पुलिस थाने से बनाकर प्रस्तुत करें।

20) सुपरस्टॉकिस्ट को प्रत्येक पार्लर/एजेंसियों पर जाकर आईसक्रीम प्रदाय करना होगा।

21) सुपरस्टॉकिस्ट को सप्ताह में न्यूनतम 02 दिन अथवा मांग अनुसार प्रतिदिन प्रदाय करना होगा।

22) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा अपने स्तर पर भोपाल दुग्ध संघ कार्य क्षेत्र मे सॉची आईसक्रीम वितरण हेतु विपणन मार्ग बनाये जा सकते है।

23) सुपरस्टॉकिस्ट को भोपाल दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में कार्यरत वितरकों को आईसक्रीम वितरक दर पर देना होगा।

24) प्राप्त आवेदन की समीक्षा गठित चयन समिति के द्वारा की जावेगी, एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं समस्त आवेदकों पर बंधनकारी होगा।

25) आवेदन स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारणवश कार्य नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्ट मनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।

26) निविदा ऑफर को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के पास सुरक्षित रहेगा।

27) आईसक्रीम वितरण हेतु रेफ्रीजरेटेड वाहन मे जी.पी.एस. लगाना अनिवार्य होगा।

28) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय मे कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति मे आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

29) यह कि स्थानीय क्षेत्रीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रीत होने वाली आईसक्रीम पर लगाया जाता है तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि उत्पाद का सेम्पल लिया जाता है तो उन्हे सील बन्द इकाई पदार्थ सेम्पल बतौर देंगे। किसी भी स्थिति मे खुल्ला सेम्पल नही देंगे। अन्यथा प्रथम पक्ष किसी भी तरह से जिम्मेदार नही रहेगा।

30) दुग्ध संघ द्वारा आवंटित सॉची आईसक्रीम विक्रय लक्ष्य की शत-प्रतिशत पूर्ति करना अनिवार्य होगा। वृद्धि नही होने पर परिवहन देयक मे आनुपातिक रूप से **कटोत्रा एवं पैनल्टी** की जावेगी।

31) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात निविदाकर्ता द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

32) किसी भी प्रकार का विवाद होने पर न्याय क्षेत्र इन्दौर रहेगा।

मेरे द्वारा साँची आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन एवं उसकी समस्त शर्तें पढ़ व समझ ली गई है तथा मै सभी शर्तों को मानने के लिये सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 32 तक वर्णित शर्तों एवं निर्देशों का पालन नहीं करता हूँ एवं मेरी अर्नेस्ट मनी राजसात करने का प्रबन्ध द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

नाम – .... **हस्ताक्षर**

❖ साँची आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु ❖
ई–निविदा प्रपत्र/आवेदन

पासपोर्ट

साईज फोटो
चस्पा करे

1.	आवेदक का नाम	■	——————————————
2.	पिता/पति का नाम	■	——————————————
3.	स्थाई पता (प्रमाण सहित)	■	—————————————— —————————————— ——————————————
4.	व्यवसाय का पता	■	—————————————— —————————————— ——————————————
	(अ) दूरभाष नं.	■	
	(ब) मोबाईल नं.	■	
5.	शैक्षणिक योग्यता	■	——————————————
6.	आवेदनकर्ता का वर्ग (अजा, अजजा, पि. वर्ग, सामान्य)	■	——————————————
7.	आवेदक/फर्म का नाम/यदि फर्म पार्टनरशिप है तो पार्टनर–शिप फर्म की पूर्ण जानकारी (दस्तावेजों की छायाप्रति सहित) देना अनिवार्य है।	■	—————————————— —————————————— ——————————————
8.	वर्तमान व्यवसाय	■	——————————————

9.	वर्तमान व्यवसाय का टर्न ओवर (टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न करे)	▪	———————————————
10.	वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.)	▪	———————————————
	(अ) चल–अचल सम्पति का ब्योरा।		– –
	(ब) बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं मे जमा राशि।		– – – – – – – – – – – –
11.	सुपरस्टाकिस्ट हेतु आवश्यक पूंजी की व्यवस्था।	▪	– –

नोट– परिवहन दर वास्तविक संचालन व्यय से कम होने पर निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जावेगा।

दिनांक – .... **आवेदक के हस्ताक्षर**

पूरा नाम ....

विपणन मार्ग की जानकारी

विपणन मार्ग
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सॉची आईसक्रीम वितरण।

<u>प्रपत्र क्रमांक – 05</u>

साँची आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता हेतु फाइनेंशियल बीड

(अ)

विपणन मार्ग का नाम	**रेफ्रीजरेटेड (-18°C) वाहन की दर प्रति लीटर/प्रति किलो समस्त कर सहित**
भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल के कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सॉची आईसक्रीम वितरण हेतु न्यूनतम 200 क्रेट क्षमता की वाहन।	

ॐ अनुबंध ॐ

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ, मर्यादित, इंदौर, जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं द्वितीय पक्ष मेसर्स ....

....

.... जिन्हें भोपाल सहकारी दुग्ध संघ कार्य क्षेत्र मे सॉची आईसक्रीम वितरण हेतु सुपर स्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची आईसक्रीम वितरण सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु अनुबंध निष्पादित किया जा रहा है :–

(1) ...., को ई–निविदा क्र. .... मे वर्णित समस्त शर्तों के अधीन स्वयं की 01 रेफ्रिजरेटेड वाहन (-) 18° C से (-) 25° C सुपर स्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता द्वारा इन्दौर संयंत्र से संचालित होकर सॉची आईसक्रीम का वितरण भोपाल के समस्त वितरण केन्द्रों तक पहुॅचाने के लिए ई–निविदा मे परिवहन दर रू. **............... प्रति लीटर/प्रति किलो** स्वीकृत की गई है।

(2) .... द्वारा ई–निविदा की शर्त अनुसार प्रतिभूति राशि पेटे एम.आर. नं. .... राशि रूपये 06.00 लाख दिनांक .... आर.टी.जी.एस. के माध्यम से दुग्ध संघ के खाते मे जमा किए गए है तथा 05.00 लाख की बैंक ग्यारंटी नं. .... दिनांक .... से ...., ... शाखा ...., दुग्ध संघ मे प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार कुल प्रतिभूति राशि रू. 11.00 लाख जमा हुए है। प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। आईसक्रीम विक्रय वृद्धि होने पर आनुपातिक रूप से प्रतिभूति राशि मे वृद्धि की जावेगी।

(3) परिवहन कार्य हेतु स्वयं की 01 वाहन रेफ्रिजरेटेड (-) 18° C से (-) 25° C का होना चाहिए। जिसके दस्तावेज प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार किराये की वाहन या स्वयं के वाहन लगाना होगी। रेफ्रीजरेटेड वाहन मॉडल वर्ष 2019 अथवा उसके बाद के पंजीकृत होना चाहिए वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से करवाकर कार्यालय में जमा करना होगी।

(4) द्वितीय पक्ष द्वारा रेफ्रीजरेटेड वाहन 30 दिवस के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। कार्य आवंटन उपरान्त 15 दिवस मे वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करना होगी। दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध ब्राण्डिंग/विनाईल स्वयं के व्यय से कराना होगी।

(5) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्नानुसार रहेगें :–

A) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को भोपाल संभाग के कार्य क्षेत्र मे वितरकों के माध्यम से स्वयं के द्वारा सभी पार्लर/एजेन्सियों की मांग पूर्ति हेतु वाहन भेजना आवश्यक होगा।

B) सुपरस्टॉकिस्ट को रेफ्रिजरेटेड वाहन (-18°C) संचालित करना होगा।

C) सुपरस्टॉकिस्ट को भरी एवं खाली क्रेटों का हिसाब रखना होगा एवं संघ को प्रत्येक माह मिलान हेतु हिसाब प्रस्तुत करना होगा। साथ ही प्रतिदिन जितनी भरी क्रेटें प्रदाय होती है उतनी ही संख्या मे खाली क्रेटें निर्धारित समय पर जमा करना होगी।

D) सुपरस्टॉकिस्ट को साँची आईसक्रीम की वेरिएंट अनुसार मांग एकत्रित कर, गणना कर निर्धारित समय पर ई–मेल द्वारा प्रतिदिन इन्दौर दुग्ध संयंत्र को देना होगी।

E) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता के पर्यवेक्षक/वाहन चालक, वाहनों में हो रहे आईसक्रीम लोडिंग के पूर्व यह सुनिश्चित् करेगें कि आईसक्रीम हर तरह से अर्थात गुणवत्ता, शीतलीकृत तापमान, लीकेज, वजन, क्रेट में निर्धारित संख्या पैकेट आदि से अच्छा है, इसके पश्चात् संघ किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं रहेगा। इस हेतु यह आवश्यक होगा की सुपरस्टॉकिस्ट अपने पर्यवेक्षक के नाम मय फोटो I.D. प्रूफ के संघ में जमा करावेगा ताकि उनकी अनुपस्थिति रिकार्ड संघ मे रखा जा सके। पर्यवेक्षकों की उनुपस्थिति के विरूद्ध प्रबन्ध द्वारा निर्धारित पैनल्टी लगाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा।

F) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा आईसक्रीम विक्रय की मांग अनुसार राशि NEFT/RTGS के माध्यम से अग्रिम दुग्ध संघ खाते मे जमा करने के पश्चात् ही साँची आईसक्रीम प्रदाय किया जावेगा। राशि जमा नहीं होने पर आईसक्रीम प्रदाय करना संभव नहीं होगा। यदि आईसक्रीम प्रदाय बाधित होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की सेवा समाप्त की जा सकती है।

G) द्वितीय पक्ष को **इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर** के नाम अकाउण्ट–पे रेखांकित पांच चैक संचालित बैंक खाते के अग्रिम दुग्ध संघ को देना होगा। जिसका विशेष परिस्थितियों मे संघ द्वारा उपयोग किया जा सकेगा।

H) सफल निविदाकार को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के प्रत्येक जिले मे आईसक्रीम वितरक नियुक्त करने के लिए महाप्रबंधक (विपणन) इन्दौर को अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा भोपाल संभाग के समस्त जिलों तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर सॉची आईसक्रीम विक्रय करना होगा।

I) सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को आईसक्रीम विक्रय पर समय – समय पर निर्धारित आईसक्रीम दर संरचना के अनुसार वितरक दर पर प्रदाय किया जावेगा।

J) सुपर स्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता को दुग्ध संघ द्वारा **वितरक दर** पर आईसक्रीम उपलब्ध की जावेगी तथा स्वयं के द्वारा नियुक्त वितरक को वितरक दर आईसक्रीम उपलब्ध करना होगी। वर्तमान मे प्रचलित निर्धारित मार्जिन विक्रेताओं को देना होगा, जो समय–समय पर परिवर्तनशील होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को मान्य करना होगा।

K) इस ई–निविदा मे सॉची आईसक्रीम विक्रय पर सुपर स्टाकिस्ट को दिया जाने वाला **मार्जिन को परिवहन दर मे शामिल किया गया** को, ध्यान मे रखते हुए निविदाकार द्वारा ऑनलाईन परिवहन दरें प्रति लीटर या प्रति किलो मे प्रस्तुत करेंगे। सफल सुपर स्टाकिस्ट द्वारा परिवहन देयक में परिवहन व्यय + जी.एस.टी. राशि का उल्लेख कर देयक प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा। पृथक से मार्जिन देय नही होगा।

L) सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता ऐसे क्षेत्र जहां वर्तमान में आईसक्रीम प्रदाय नही हो रहे है, वहां पर प्रदाय करना होगा।

6) यह कि अनुबंधित अवधि में डीजल की दरों में जो वृद्धि/कमी होगी उसके अनुसार सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की दरो में भी वृद्धि/कमी अनुपातिक दर से की जा सकेगी। दर वृद्धि/कमी का आधार संघ की स्थापित प्रणाली से होगा।

7) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा भेजा जाने वाला वाहन यदि रास्ते में खराब होता है तो सुपरस्टॉकिस्ट का प्रमुख दायित्व रहेगा कि तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था करेगा।

8) सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण क्षेत्र में किन्ही विपरीत परिस्थिति जैसे शहर बंद, कर्फ्यू, निजी दुग्ध पदार्थ व्यवसायियों की उपभोक्ताओं को आईसक्रीम प्रदाय नहीं करने संबंधी हड़ताल आदि शामिल नही होगा। प्रदायगी प्रशासन के दिशा निर्देश अनुसार करना होगा।

9) सुपरस्टॉकिस्ट को भोपाल सहकारी दुग्ध संघ के कार्य क्षेत्र के सम्पूर्ण जिलों में साँची आईसक्रीम के व्यवस्थित वितरण हेतु व्यवस्था करना होगी। साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले क्षेत्रीय वितरण वाहन (2019 या उसके बाद के मॉडल) रेफ्रीजरेटेड होकर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था भी करना होगी।

10) सुपरस्टॉकिस्ट को आईसक्रीम प्रदाय करते समय उसकी जाँच–परख हर दृष्टि से सुनिश्चित् कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात् किसी भी प्रकार लीकेज/कम मात्रा, क्रेट आदि की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता की रहेगी।

11) सुपरस्टॉकिस्ट को संघ की निर्धारित शर्तों अनुसार **रूपये** 1,000/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध, जमानतदार सहित निष्पादित करना होगा। यह कि प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची आईसक्रीम वितरण/विक्रय हेतु आवंटित क्षेत्रों हेतु पूर्णतः अस्थाई रूप से 03 वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा। तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति संतोषजनक होने पर एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी। यह अनुबंध दिनांक .... से .... तक प्रभावशील है।

12) सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता को एक माह की पूर्व अग्रिम सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में विपणन मार्ग बंद करने का अधिकार प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ का होगा। इसके लिए प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ किसी भी तरह की न्यायालयीन प्रक्रिया से मुक्त होगा। सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता कार्य नही करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ को तीन माह का अग्रिम लिखित नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट परिवहनकर्ता (आईसक्रीम) का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा।

13) संघ से क्रय की गई आईसक्रीम मात्रा की राशि NEFT/RTGS के माध्यम से संघ खाते में अग्रिम जमा करवानी होगी। बैंक अवकाश के दिनों में भी ऑन लाईन राशि दुग्ध संघ के खाते में अग्रिम हस्तातंरण कराना अनिवार्य है।

14) द्वितीय पक्ष द्वारा संचालित वाहनों पर ब्राण्डिंग संघ द्वारा दी गई डिजाईन अनुसार स्वयं के व्यय से करना होगी।

15) सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता को स्वयं/वितरकों के माध्यम से प्रत्येक पार्लर/एजेंसियों पर जाकर आईसक्रीम प्रदाय करना होगा।

16) द्वितीय पक्ष द्वारा सप्ताह में न्यूनतम 02 दिन अथवा मांग अनुसार प्रतिदिन प्रदाय करना होगा।

17) सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा अपने स्तर पर भोपाल संभाग कार्य क्षेत्र मे सॉची आईसक्रीम वितरण हेतु विपणन मार्ग बनाये जा सकते है।

18) सुपरस्टॉकिस्ट को भोपाल संभाग के कार्यक्षेत्र में कार्यरत वितरकों को आईसक्रीम वितरक दर पर देना होगा।

19) द्वितीय पक्ष द्वारा यदि कार्य मे अनियमितता की जाती है तो एक माह पूर्व नोटिस देकर कार्य से पृथक किया जावेगा।

20) **भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय पक्ष द्वारा जिन कर्मचारियों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन कर्मचारियों से कार्य लिया जावेगा उन कर्मचारियों की भविष्य निधि अधिनियम एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार नियमित अंशदान की राशि संबंधित विभाग में जमा करने की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी।**

21) **यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के स्टॉफ कार्यालय में किसी अधिकारी/कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है तो प्रथम पक्ष तत्काल ऐसे स्टॉफ को कार्य से पृथक करेगे अन्यथा द्वितीय पक्ष या इनके स्टॉफ द्वारा अनुशासनहीनता करने पर उनका ठेका तुरन्त निरस्त कर ब्लैक लिस्ट किया जावेगा।**

22) **डेयरी की परिधि के अंदर आने वाले वाहन निर्धारित (20 कि.मी.) की रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाए जावे और न डेरी की परिधि में वाहन की साफ सफाई की जावे। यदि ऐसा किया गया तो रूपये 1000/– का द्वितीय पक्ष पर जुर्माना किया जावेगा जो कि द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी होगा।**

23) **उपरोक्त शर्तो के अलावा दुग्ध संघ के हित को देखते हुए कोई भी अतिरिक्त कार्य लगाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ सुरक्षित रखता है।**

24) **प्रथम पक्ष अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुमति के बिना द्वितीय पक्ष लोडिंग वाहन के साथ किसी भी बाहरी व्यक्तियों को या अन्य सामान को नहीं ले जा सकेगा।**

25) अनुबंध के उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त निविदा प्रपत्र के प्रप्रत्र क्र 02 में उल्लेखित शेष नियम एवं शर्ते इस अनुबंध के भाग माने जावेंगे जो की द्वितीय पक्ष पर बंधनकारी/स्वीकार होगा।

26) उपरोक्त शर्तों में व्यवहारिक आवश्यकतानुसार परिवर्तन का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा, जिसमें द्वितीय पक्ष की सहमति बंधनकारी होगी।

27) **उपरोक्त अनुबंध के शर्तो के अलावा समय–समय पर संघ द्वारा जो भी लिखित निर्देश दिए जाएंगे इस अनुबंध के भाग माने जावेंगे।**

28) यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय मे कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश को–ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमि. भोपाल को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति मे आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

29) किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा।

उपरोक्त शर्तों पर दोनों पक्षों की सहमति से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण होश–हवास में इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., इन्दौर के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निष्पादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

मैं .... पिता/पति/पत्नी..साँची आईसक्रीम सुपरस्टॉकिस्ट सह–परिवहनकर्ता ....अपना उत्तराधिकारी (नॉमिनी) श्री/श्रीमती...................................... को घोषित करता/ करती हूँ।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
....

गवाह–

1. **नाम– ....**
2. **पता– ....**
   ....
3. **आधार कार्ड नं.– ....**
4. **मो.नं.– ....**

2. नाम– ....
पता– ....
आधार कार्ड– नं. ....
मो.नं.– ....